उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-आई/1025097/2025/8-3099/175/2025
लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी निवेश से स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति-2025 निर्गत की गई है। उक्त नीति के अधीन प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिए जाने वाले भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क में छूट प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

2- अतएव उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-53 में वर्णित छूट सम्बन्धी प्राविधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति-2025 से आच्छादित बस अड्डों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75 प्रतिशत तथा विकास शुल्क में 75 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राज्य सरकार के सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/संस्था में रियायत की समतुल्य राशि की बैंक गारण्टी जमा करने पर रियायत प्रदान की जाएगी, जो स्वीकार्यता अवधि के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने पर वापस कर दी जाएगी।

(2) लाभार्थी को इकाई का संचालन आगामी दस वर्षों तक किए जाने की बाध्यता होगी।

(3) इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक व्याज सहित वापस ली जाएगी तथा इस संबंध में विकास प्राधिकरण को देय कोई धनराशि उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-40 के अधीन वसूल की जायेगी।

(4) इस नीति के अधीन प्रोत्साहन एवं रियायतें प्राप्त करने वाली इकाईयों द्वारा सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियाँ स्वयं प्राप्त की जाएंगी और इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। उक्त प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं छूट निरस्त कर दिए जाएंगे।

(5) इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(6) उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इण्डिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति-2025 से आच्छादित इकाई, यदि ऐसे स्थान पर प्रस्तावित है, जहाँ बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधा उपलब्ध न हों तो उनकी व्यवस्था उद्यमी द्वारा स्वयं की जानी होगी तथा छूटे प्राप्त करने हेतु उक्त आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपिः- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस

निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक 21.07.2025 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (क) में प्रकाशित करायें तथा गजट की मुद्रित 10-10 प्रतियां सम्बन्धित अधिकारियों एवं 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जाए।

आज्ञा से,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया अधिसूचना को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
11. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
GIRISH CHANDRA MISHRA
Date: 16-07-2025
10:38:18

(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव